

कार्यालय महालेखाकार (ले.व ह.)-II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या-टी.एम.(सी)/


दिनांक: 14.05.2020

कार्यालय आदेश

विषय: मासिक लेखा माह अप्रैल 2020 के प्रेषण के संबंध में।

कार्यालय महालेखाकार (ले.व ह.)-I उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यालय आदेश संख्या-बुक (सी)/एम.सी.ए./3232, दिनांक 11.05.2020 के क्रम में माह अप्रैल-2020 का लेखा दिनांक 20.05.2020 तक लेखांकन किया जाना है। उक्त कार्यालय आदेश के आलोक में उत्तर प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों, निर्माण, सिंचाई, भूजल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, वन प्रभागों/खण्डों को यह निर्देशित किया जाता है कि माह अप्रैल-2020 का मासिक लेखा दिनांक 16.05.2020 तक विशेष वाहक/डाक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश महालेखाकार महोदया के अनुमोदन के पश्चात निर्गत किया जा रहा है।



उपमहालेखाकार/प्रशासन/निर्माण/वन समन्वय




उपमहालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी.

पृष्ठांकन संख्या/टी.एम.(सी)/TR 710-1-9

दिनांक: 14.05.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- ✓ 2. व.लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी, कार्यालय महालेखाकार (ले.व ह.)-I उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित की इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
3. उत्तर प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी
4. समस्त अधिशासी अभियंता-लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई विभाग, भू-जल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएँ
5. समस्त प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार
6. वरि० लेखाधिकारी/निर्माण समन्वय
7. वरि० लेखाधिकारी/वन समन्वय
8. वरि० लेखाधिकारी/राजकोष एवं वी.एल.सी.समन्वय
9. वरि० लेखाधिकारी/लखनऊ शाखा कार्यालय



व.लेखाधिकारी/टी.एम.(सी)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सं० बुक (सी०)/एम०सी०ए०/ 3232

दिनांक: 11 /05/2020

कार्यालय आदेश

विषय :- मासिक सिविल लेखा अप्रैल, 2020 के संकलन के लिए समय सारणी ।

मासिक सिविल लेखा के संकलन की समय सारणी से सम्बन्धित कार्यालय आदेश संख्या बुक (सी०)/एम०सी०ए०/85915 दिनांक : 28.11.2017 के क्रम में माह अप्रैल, 2020 के मासिक सिविल लेखा को प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए समय सारणी निम्नवत् निश्चित की जाती है :

- 1 भुगतान सूची तथा रोकड़ खातों की पोस्टिंग- 15.05.2020 तक।
- 2 वाउचर/चालान की प्रविष्टियाँ- 18.05.2020 तक।
- 3 पोस्टिंग कार्य की पूर्णता का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों/व०लेखाधिकारियों को प्रस्तुत करना-19.05.2020।
- 4 स० लेखाधिकारी/व० लेखाधिकारी द्वारा वी०एल०सी०/ई०डी०पी० को पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना-19.05.2020।
- 5 (ले० एवं हक०)-द्वितीय द्वारा विलयित डाटा का हस्तांतरण- 20.05.2020 तक।
- 6 वी०एल०सी० (ई०डी०पी०) एवं संकलन सामान्य अनुभागों द्वारा लेखों की जांच सम्बन्धित कार्य - 21.05.2020।
- 7 मासिक सिविल लेखा को महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना - 22.05.2020।

सभी सम्बन्धित अनुभागों द्वारा उपर्युक्त समय-सारणी का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। कोई भी चूक गंभीरता से ली जायेगी।

वरिष्ठ उप महालेखाकार/टी०ए०डी० एवं वी०एल०सी०

सं० बुक (सी०)/एम०सी०ए०/3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2 वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं उप महालेखाकार/ निर्माण, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

कृ०प०उ०